न्यायालय : सेशन न्यायाधीश, बालोतरा

पीठासीन अधिकारी : एम.आर. सुथार (आर.जे.एस.)
जिला न्यायाधीश संवर्ग

फौजदारी विविध प्रकरण संख्या : 375/2026
प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या : 176/2026, आरक्षी केन्द्र बालोतरा,
CNR : RJBA010010372026

श्रीमती मंजुदेवी पत्नी जितेन्द्र कुमार, उम्र 47 वर्ष, निवासी नट कॉलोनी बालोतरा, पुलिस थाना बालोतरा, जिला बालोतरा ।

– प्रार्थीया/अभियुक्ता

विरुद्ध

राजस्थान राज्य।

– अप्रार्थी

जमानत आवेदन अन्तर्गत धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023, प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 176/2026, पुलिस थाना बालोतरा, अपराध अन्तर्गत धारा 19/54 राजस्थान आबकारी अधिनियम

उपस्थित :–

1. श्री डूंगरसिंह नामा, विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीया/अभियुक्ता की ओर से ।
2. विद्वान लोक अभियोजक, राज्य की ओर से ।

–– आदेश ––

दिनांक : 09.07.2026

1. प्रार्थीया/अभियुक्ता की ओर से यह जमानत आवेदन अंतर्गत धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 इस न्यायालय के समक्ष पेश किया गया । नकल लोक अभियोजक को दिलवायी जाकर अनुसंधान पत्रावली तलब की गयी। अनुसंधान पत्रावली का अवलोकन किया और बहस जमानत सुनी ।
2. प्रार्थीया के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया है कि प्रार्थीया निर्दोष है, उसे इस प्रकरण में झूठा संलिप्त किया गया है । प्रार्थीया का बरामदा शराब से कोई सरोकार नहीं है ।

3. यह भी तर्क दिया कि प्रार्थीया के विरुद्ध पूर्व का कोई प्रकरण दर्ज होकर लंबित नहीं है। प्रार्थीया लंबे समय से बीमार भी है। उसके अभिरक्षा में रहने से उसके स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। आरोपित अपराध मृत्यु या आजीवन कारावास से दंडनीय नहीं होकर प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय अपराध से संबंधित है। प्रकरण के अनुसंधान एवं विचारण में समय लगने की संभावना है । अतः प्रस्तुत जमानत आवेदन स्वीकार करने का निवेदन किया ।

4. विद्वान लोक अभियोजक ने जमानत आवेदन का विरोध करते हुए जमानत आवेदन अस्वीकार करने का निवेदन किया ।

5. माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायिक दृष्टांत SB.Cri.Misc. Bail Application No. 13513/2020 जुगल बनाम राजस्थान राज्य में दिये गये निर्देशानुसार अभियोजन द्वारा प्रार्थीया/अभियुक्ता का निम्न आपराधिक रिकॉर्ड प्रस्तुत किया गया है:–

क्र.सं.	मुकदमा नं.	धारा	थाना	चालान नं.	वर्तमान स्थिति
–	–	–	–	–	–

6. उभय पक्षकारान की ओर से दिये गये तर्कों को सुना एवं केस डायरी का अवलोकन किया। अनुसंधान पत्रावली के अवलोकन से प्रार्थीया के मकान की तलाशी लिये जाने पर शराब की 6 पेटियों में कुल 251 देशी शराब के पव्वे भरे हुए पाये गए।

7. केस डायरी के अवलोकन से प्रार्थीया के विरुद्ध पूर्व का कोई प्रकरण दर्ज होकर लंबित होना नहीं बताया है । प्रार्थीया के अधिवक्ता ने जमानत आवेदन के साथ प्रार्थीया के इलाज से संबंधित दस्तावेज भी प्रस्तुत किए हैं जिनके अवलोकन से प्रार्थीया का इलाजरत होना भी जाहिर होता है । प्रार्थीया महिला है। बरामदा शराब की मात्रा महज 251 पव्वे हैं। प्रकरण के अनुसंधान एवं विचारण में समय लगने की पूर्ण संभावना है । इन तमाम तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुए प्रार्थीया की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन स्वीकार किया जाना न्यायोचित पाया जाता है।

–:: आदेश ::–

8. अतः प्रार्थीया/अभियुक्ता मंजुदेवी की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन अन्तर्गत धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि यदि प्रार्थीया/अभियुक्ता की ओर से उपस्थिति बाबत् पच्चीस हजार रुपये का स्वयं

का मुचलका एवं पच्चीस हजार रुपये जमानत अधिनस्थ न्यायालय के सन्तोषप्रद प्रस्तुत कर तस्दीक करवा दी जाए, तो प्रार्थीया/अभियुक्ता को इस प्रकरण में जमानत पर रिहा कर दिया जाए ।

(एम.आर.सुथार)
सेशन न्यायाधीश, बालोतरा

9. आदेश आज दिनांक 09.07.2026 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षरित कर सुनाया गया।

(एम.आर.सुथार)
सेशन न्यायाधीश, बालोतरा

HITESH MANGNANI
Steno Gr. III
"Authenticate document"
Digitally Signed by
HITESH MANGNANI
Date: 2026.07.10
10:04:57 +0530